

## कार्यालय, जिला उद्यान पदाधिकारी, जामताड़ा

### किसान भाईयों के लिए आवश्यक सूचना

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र प्रायोजित इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टीकल्चर (MIDH) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के कार्यान्वयन हेतु जामताड़ा जिलान्तर्गत निम्नवत् लक्ष्य प्राप्त हुआ है:-

| क्र० | कार्य अवयव                                                                                                                                                       | लक्ष्य       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1    | ड्रेगन फुट Dragon Fruit (Kamalam) (int. Drip system and trellis)                                                                                                 | 02 हेक्टेयर  |
| 2    | ड्रेगन फुट Dragon Fruit (Kamalam) (without integration)                                                                                                          | 01 हेक्टेयर  |
| 3    | स्ट्रॉबेरी की खेती (ड्रीप एवं पलवार पद्धति के साथ) Strawberry (int. Drip and Mulching system)                                                                    | 05 हेक्टेयर  |
| 4    | स्ट्रॉबेरी की खेती Strawberry-without integration                                                                                                                | 01 हेक्टेयर  |
| 5    | केला Banana(TC) (int. Drip system)                                                                                                                               | 05 हेक्टेयर  |
| 6    | केला Banana(TC) (without integration)                                                                                                                            | 01 हेक्टेयर  |
| 7    | पपीता की खेती (ड्रीप पद्धति के साथ) Papaya (int. Drip system)                                                                                                    | 05 हेक्टेयर  |
| 8    | पपीता की खेती Papaya- without integration                                                                                                                        | 01 हेक्टेयर  |
| 9    | आम की खेती Mango Farming                                                                                                                                         | 30 हेक्टेयर  |
| 10   | नीबू की खेती Lime Farming                                                                                                                                        | 08 हेक्टेयर  |
| 11   | चीकू की खेती Sapota Farming                                                                                                                                      | 05 हेक्टेयर  |
| 12   | अमरुद की खेती Guava Farming                                                                                                                                      | 10 हेक्टेयर  |
| 13   | अनार की खेती Pomegranate Farming                                                                                                                                 | 05 हेक्टेयर  |
| 14   | ऑंवला की खेती Aonla Farming                                                                                                                                      | 02 हेक्टेयर  |
| 15   | बेल की खेती Bael Farming                                                                                                                                         | 02 हेक्टेयर  |
| 16   | लिची की खेती Litchi Farming                                                                                                                                      | 02 हेक्टेयर  |
| 17   | कटहल की खेती Jack Fruit Farming                                                                                                                                  | 01 हेक्टेयर  |
| 18   | सब्जी की खेती Hyd vegetable Farming                                                                                                                              | 60 हेक्टेयर  |
|      | कटिंग फूलों की खेती Cut Flower Farming                                                                                                                           | 20 हेक्टेयर  |
| 19   | ब्लबस फूलों की खेती Bulbous Flower Farming                                                                                                                       | 20 हेक्टेयर  |
| 20   | लूस फूलों की खेती Loose Flower Farming                                                                                                                           | 20 हेक्टेयर  |
| 21   | मिर्चा/अदरक की खेती Spices and Rhizomatic Spices Farming                                                                                                         | 30 हेक्टेयर  |
| 22   | GREEN HOUSE N.V.S TUBULAR STRUCTURE                                                                                                                              | 1000 sqm     |
| 23   | शेडनेट (ट्युबलर स्ट्रक्चर) Shadenet (Tubular Structure)                                                                                                          | 5000 sqm     |
| 24   | प्लास्टिक मालचिंग Plastic Mulching                                                                                                                               | 100 हेक्टेयर |
| 25   | पक्षी रोधक जाल Anti Bird /Anti Hail Nets                                                                                                                         | 20000 sqm    |
| 26   | उच्च मूल्य की सब्जी खेती पॉली/शेडनेट के अन्दर<br>Cost of planting material of high value Vegetable grown in poly house/shadenet house                            | 2000 sqm     |
| 27   | उच्च मूल्य का जरबेरा एवं कारनेशन फूल खेती पॉली/शेडनेट के अन्दर<br>Cost of planting material of high value Carnation & Gerbera grown in poly house/shadenet house | 2000 sqm     |
| 28   | उच्च मूल्य की गुलाब एवं लिलियम फूल खेती पॉली/शेडनेट के अन्दर<br>Cost of planting material of high value Rose & Lilum grown in poly house/shadenet house          | 2000 sqm     |
| 29   | वर्मी बेड HDPE Vermibed                                                                                                                                          | 30 यूनिट     |
| 30   | पैक हाउस Pack House                                                                                                                                              | 15 यूनिट     |
| 31   | PHM- Evaporation/low energy cool chamber - 8MT                                                                                                                   | 4 यूनिट      |
| 32   | PHM- Low cost onion structure – 25 MT                                                                                                                            | 05 यूनिट     |
| 33   | Marketing Infrstructure Static Mobile Vending Cart/platform with cool chamber                                                                                    | 02 यूनिट     |
| 34   | राज्यस्तरीय प्रशिक्षण Within State Training                                                                                                                      | 350 कृषक     |
| 35   | अन्तराजकीय प्रशिक्षण Outside state Training                                                                                                                      | 50 कृषक      |
| 36   | अन्तराजकीय परिभ्रमण Outside state Exposure                                                                                                                       | 50 कृषक      |

योजना के विभिन्न कार्य अवयवों का लाभ लेने हेतु इच्छुक कृषक/स्वयं सहायता समूह/किसान उत्पादन संगठन अपना आवेदन पंचायती राज संस्था के मुखिया/जनप्रतिनिधि/जिला परिषद् सदस्य से अनुशंसा कराकर आवश्यक कागजात यथा पहचान पत्र/आधार कार्ड/बैंक पासबुक विवरणी/मोबाईल नम्बर/जमीन का रकबा/जमीन का खाता संख्या/प्लॉट नम्बर के साथ पूर्ण विवरणी संलग्न करते हुए विहित आवेदन पत्र दिनांक- 29.06.2024 के संध्या 5:00 बजे तक जिला उद्यान कार्यालय, संयुक्त जिला कृषि भवन, सखेलडीह, जामताड़ा में जमा कर सकते हैं।

लाभुक का चयन प्रखण्डवार निर्धारित लक्ष्य अनुरूप पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

अनुदान हेतु लाभुक चयन के लिए निम्नांकित न्यूनतम मापदण्ड आवश्यक होगा—

1. आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं सभी कागजात के साथ होगा।
2. आवेदन की प्रति मुखिया अथवा अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा अनुशंसित किया हुआ हो।
3. आवेदक द्वारा पूर्व के तीन वर्षों तक इस योजना कार्य अवयव का लाभ नहीं लिया हो—
4. आवेदक के पास पर्याप्त भूमि हो तथा सब्जी, फल, फूल आदि की खेती करते हों।
5. कृषक अंशदान की राशि व्यय करने को इच्छुक हो।
6. आवेदक द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित आवेदन ही स्वीकार्य होगा।
7. लाभुक के चयन में FPO/प्रगतिशील कृषकों/महिला स्वयं सहायता समूह/सिंचाई सुविधा युक्त कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा लाभुकों के चयन में टोकन प्रणाली को अपनाते हुए सूची संधारित की जाएगी।
8. वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य द्वारा लक्ष्य अनुरूप लाभुक का चयन किया जाएगा।
9. विशेष परिस्थिति में किसी भी आवेदन को स्वीकृत करना या रद्द करने का अधिकार जिला उद्यान पदाधिकारी, जामताड़ा के पास सुरक्षित रहेगा, जिसपर किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

योजना की विस्तृत जानकारी जिला उद्यान कार्यालय, संयुक्त जिला कृषि भवन, सखेलडीह, जामताड़ा से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन का प्रारूप [atmajamtara.org.in](http://atmajamtara.org.in) पर उपलब्ध है।

जिला उद्यान पदाधिकारी,  
जामताड़ा।